7.7.17

पत्रावली आज वास्ते इंद्राज पर पेश। फैसला अलग से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसला अनुसार अमल दर रिकार्ड में जावे है।

रामलाल

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – रेणु मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 16 / 14

1. देवा पिता उदा मृतक के बजाय–

1 / 1कालु पिता देवा गुजर निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा

1 / 2 नानु पिता देवा गुजर निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा

1 / 3 लछमण पिता देवा गुजर निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा

1 / 4 बाली पुत्री देवा गुजर निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा

1 / 5 मांगी पत्नि देवा गुजर निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा

वादी

बनाम

1. रामलाल पिता हजारी सुथार निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा
2. देबीलाल पिता हजारी सुथार निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा
3. लादु पिता माधु सुथार निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा
4. श्यामु पिता माधु सुथार निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा
5. सुगना पिता माधु सुथार निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा
6. शान्ति पिता माधु सुथार निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा
7. बरदी पत्नि माधु सुथार निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा
8. शंकर मुतबन्ना नन्दा सुथार निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा
9. शंकर पिता तुलछा सुथार निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा
10. रामचन्द्र पिता मोहन सुथार निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा
11. जमना पिता मोहन सुथार निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा
12. किशना पिता मोहन सुथार निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा
13. मोहनी पत्नि मोहन सुथार निवासी बिलियॉकलॉ तहसील हमीरगढ जिला– भीलवाडा
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा हाल हमीरगढ
15. उपपंजीयक हमीरगढ

प्रतिवादी

दिनांक 07.07.2017

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बिलियॉकलॉ में स्थित आराजी नम्बर 223 रकबा 00–04 बीघा , आराजी नम्बर 866 रकबा 00–14 बीघा , आराजी नम्बर 867 रकबा 00–14 बीघा, आराजी नम्बर 868 रकबा 01–10 बीघा किता 4 रकबा 03–02 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1. 2 का 1 / 2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 से लगायत 13 तक का संयुक्त रूप से 1 / 2 हिस्सा है जिसका प्रतिवादीगणों ने मौके पर पूर्वजों के समय से ही अर्थात् 50 वर्षो से बहामी बटवाडा कर रखा था। बहामी बटवाडे से ही वादी व प्रतिवादीगणों का कब्जा था जिसके अनुसार आ. न. 868 रकबा 01–10 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01, 02 के हक हिस्से व आधिपत्य की थी जिसके पडौस पूर्व में – उदा पिता धन्ना कुम्हार , पश्चिम में – सोदानसिंह राजपुत , उत्तर में –नानुराम ,तुलछा जी और दक्षिण में– मगना जी गाडरी का हिस्सा था।

इस आराजी नम्बर 868 रकबा 01–10 बीघा को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के द्वारा दिनांक 24.02.1983 को वादी को प्रतिफल की राशि 4000 रुपये में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचकर वादी का आधिपत्य करा दिया गया था तभी से आज तक इस कयशुदा भूमि आराजी नम्बर 868 रकबा 01–10 बीघा पर निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा है और इस भूमि को विकसित करने में वादी द्वारा हजारों रूपये खर्च किये है।

वादी के अज्ञानतावश उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज नही हो सकी जिससे वादी के खातेदारी अधिकार प्रभावित होतें है वादी का उक्त पडौसों की आराजी नम्बर 868 रकबा 01–10 बीघा भूमि पर निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा है जिससे वादी ने उक्त भूमि को उसके नाम दर्ज करने का निवेदन

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये जाने पर प्रतिवादी 01 लगायत 13 तक की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है प्रतिवादीगणों द्वारा अपने जवाब में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए वाद खारिज योग्य बताया गया ।

वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में दिनांक 24.02.1983 को हुए विकय पत्र की प्रति पेश की गई जो शामिल पत्रावली है ।

प्रतिवादीगणों द्वारा पत्रावली में दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये वादी द्वारा उपस्थित होकर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं सलंग्न रेकार्ड का अवलोकन कर मनन किया गया तो पाया कि आराजी नम्बर 223 रकबा 00–04 बीघा आराजी नम्बर 868 रकबा 01–10 बीघा किता 02 रकबा 01–14 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 , 02 का 1/2 हिस्सा है एवं शेष 1/2 हिस्सा अन्य प्रतिवादीगणों का है । आराजी नम्बर 868 रकबा 01–10 बीघा भूमि में विकेता प्रतिवादी संख्या 01 , 02 का 1/2 हिस्सा ही दर्ज रेकार्ड है जबकी पंजीयन दस्तावेज दिनांक 24.02.1983 में विकेता प्रतिवादी कमांक 01,02 के द्वारा आराजी नम्बर 868 रकबा 01–10 बीघा को बहामी बटवाडे से उनके हक हिस्से की मानते हुए वादी को विकय की गई है।

राजस्व रेकार्ड में कोई भी आराजी सयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज हो उसका जब तक सक्षम अधिकारी के आदेश से बटवाडा नही हो तब तक अपने कब्जे में और अपने हक हिस्से में किसी खसरा नम्बर को मानतें हुए सम्पूर्ण रकबे का बेचान नही किया जा सकता है । इस प्रकरण में हालांकि आराजी नम्बर 868 रकबा 01–10 बीघा भूमि प्रतिवादी 01व 02 के कब्जें की रही हो किन्तु राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/2 हिस्सा ही दर्ज है कोई भी कृषक राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने हिस्से से अधिक की भूमि का विकय नही कर सकता है चाहे मौके पर उसी के कब्जे में हो । राजस्व रेकार्ड में बटवाडा करानें के बाद ही अपने हक हिस्से में आयी भूमि का विकय किया जा सकता है।

आराजी नम्बर 868 रकबा 01–10 बीघा भूमि बाबत् मौका रिपोर्ट राजस्व लोक अदालत केम्प खैराबाद के दौरान पटवारी हल्का द्वारा की गई जिसके अनुसार आराजी नम्बर 868 रकबा 01–10 बीघा भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त है किन्तु वादी जिस दस्तावेज के आधार पर वाद लेकर आया है वह दस्तावेज विकेता के हक –हिस्से तक ही वैद्य कहा जा सकता है ऐसी स्थिति में वाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवरण के अनुसार वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम बिलियोंकलॉ की आराजी नम्बर 868 रकबा 01–10 बीघा भूमि में प्रतिवादी 01व 02 के स्थान पर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार डिकी जारी हो पत्रावली कैसल शुमार बाद दाखला नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 खैराबाद में सुनाया गया।

रेणु मीणा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
जिला– भीलवाड़ा